मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
अधिसूचना दिनांक 20.03.2026

भोपाल, दिनांक 12.03.2026

क्रमांक–401/मप्रविनिआ/2026. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ङ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादनतथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण–द्वितीय), विनियम, 2021 {क्रमांक आरजी–33(II), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् **''मूल विनियम''** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण–द्वितीय),विनियम, 2021 में पंचम संशोधन {एआरजी–33(II)(V), वर्ष 2026}"

1. **संक्षिप्त शीर्षकतथा प्रारंभः**

1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण–द्वितीय),विनियम, 2021 में पंचम संशोधन {एआरजी–33(II)(V), वर्ष 2026}"**कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

2.1 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(दो) के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 2(दो)(क) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''2(दो)(क)'न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer)'का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने हेतु ''कारबार का संचालन) विनियम, 2023 में परिभाषित किया गया है ; ''

2.2 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(दो)(क) को विनियम 2(दो)(ख) पुनः क्रमांकित किया जाए ।

2.3 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(दो)(ख) के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 2(दो)(ग) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''2(दो)(ग) **'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency)'**से अभिप्रेत है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जिसे समय–समय पर यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) की धारा 3 की उप–धारा (एक) के अधीन स्थापित किया गया है ; ''

2.4 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(आठ) के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 2(आठ)(क) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''2(आठ)(क)**'वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy)'**का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित एवं पुनरीक्षित'Central Elecrticity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulation2013 में परिभाषित किया गया है ; ''

2.5 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(बीस) के स्थान पर नवीन विनियम 2(बीस) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''2(बीस)**'नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation)'**से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त आबन्धित इकाइयों (Obligated Entities) द्वारानवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह–उत्पादन (Co-generation) को सम्मिलित करते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा; ''

2.6 विद्यमान विनियम, नामतः विनियम 2(बीस)(क) तथा 2(तेईस)(क) को विलोपित किया जाए।

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन :

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.1 के स्थान पर नवीन विनियम 3.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए,अर्थात् :

''3.1 आबन्धित इकाइयां, जो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हैं, द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की खपत का न्यूनतम अंशदान सुनिश्चित करने हेतु क्रय की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का न्यूनतम अंशदान, प्रत्येक

श्रेणी हेतु, कुल विद्युत ऊर्जा की खपत (जिसे एतद् पश्चात् नवीकरणीय क्रय आबन्धन निर्दिष्ट किया गया है) के प्रतिशत के रूप में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरणों के अनुसार होगा (खुली पहुंच उपभोक्ताओंतथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं हेतु यह आवश्यकता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर, अन्य स्त्रोतों से विद्युत खपत पर लागू होगा) :

सरल क्रमांक	वर्ष	पवन ऊर्जा (Wind Energy)	जल–विद्युत ऊर्जा (Hydro Energy)	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy)	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (Other Renewable Energy)	कुल नवीकरणीय ऊर्जा (Total Renewable Energy)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024–25	0.67%	0.38%	1.50%	27.36%	**29.91%**
2	2025–26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	**33.01%**
3	2026–27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	**35.95%**
4	2027–28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	**38.81%**
5	2028–29	2.95%	1.42%	3.90%	33.09%	**41.36%**
6	2029–30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	**43.33%**

(क) पवन ऊर्जा घटक (Wind Energy Component) के अधीन आबन्धन (Obligation) की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात् क्रियाशील की गई (Commissioned) पवन ऊर्जा परियोजनाओ से उत्पादित की गई ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी।

(ख) जल विद्युत घटक (Hydro Energy Component) के अधीन आबन्धनों (Obligations) की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात् क्रियाशील की गई (Commissioned)जल ऊर्जा परियोजनाओ से उत्पादित की गई ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी।

परन्तु यह कि जल–विद्युत ऊर्जा घटक के अधीन आबन्धन की पूर्ति ऐसी परियोजनाओं से राज्य अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क ऊर्जा से भी की जा सकेगी :

परन्तुआगे यह और कि जल–विद्युत घटक के अधीन आबन्धन की पूर्ति भारत से बाहर अवस्थित जल–विद्युत परियोजनाओं से भी केन्द्र सरकार द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण गुण–दोष के आधार पर (Case-to-Case Basis) की जा सकेगी।

(ग) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन आबन्धन की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जिनकी क्षमता 10 मेगावाट से अधिक नहीं है, उत्पादित ऊर्जा के माध्यम से की जा सकेगी तथा इसमें समस्त विन्यासो/संस्थियों (Configurations) के अधीन सौर स्थापनाएं (Solar

Installations) {जैसे कि शुद्ध मापन (Net Metering), सकल मापन (Gross Metering), प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering), सामूहिक शुद्ध मापन (Group Net Metering), मापयन्त्रस्थापनाओं के पीछे की ओर (behind the meter installations) तथा अन्य कोई विन्यास/संस्थिति (Configuration)} तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत सम्मिलित की जाएंगी :

परन्तु यह कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा आबन्धन (Distributed Renewable Energy Obligation) के विरूद्ध अनुपालन को सामान्यतः ऊर्जा (किलोवाट ऑवर इकाइयों) के रूप में मान्य किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि ऐसे प्रकरण में जहां आबन्धित इकाई वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के विरूद्ध उत्पादन आंकड़े (generation data) प्रदान करने में सक्षम न हो वहां प्रतिवेदित क्षमता (reported capacity) को 4 किलोवाटऑवर प्रति किलोवाट प्रति दिवस (kWh/kW/day)के गुणक (multiplier) द्वारा ऊर्जा (energy) के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक (Renewable Energy Component) के अधीन आबन्धन की पूर्ति उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट किये गयों को छोड़कर किसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित विद्युत ऊर्जा द्वारा की जा सकेगी। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में निम्नसमस्त परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाएगा, जो मात्र इनतक ही सीमित न होगा –

(एक) पवन ऊर्जा परियोजनाएं (Wind Power Projects) ;

(दो) सौर ऊर्जा परियोजनाएं(Solar Power Projects) ;

(तीन) जल–विद्युत परियोजनाएं, निःशुल्क ऊर्जा (free power) को सम्मिलित करते हुए, जो एक अप्रैल, 2024 से पूर्व क्रियाशील (Commissioned) की गई हों ; और

(चार) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) से उत्पादित काष्ठ कोयला (Charcoal) तथा बायोमास गुटिकाओं का सह–दहन (Co-firing) ।

3.2 मूल विनियमोंके विनियम 3.1.1 से 3.1.8 तक के विनियमों के स्थान पर नवीन विनियम 3.1.1 से 3.1.8निम्नानुसार स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

''3.1.1 पवन जल विद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन आबन्धन (Obligations) प्रतिमोच्य/प्रतिस्थापन योग्य (fungible) होंगे {अर्थात् एक में किसी कमी की पूर्ति अन्य में आधिक्य (surplus) द्वारा की

जा सकेगी}, जबकि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (distributed renewable energy) में उसकी कोई कमी (shortfall) अ–प्रतिमोच्य/अ–प्रतिस्थापन योग्य (non-fungible) होगी परन्तु उसमें किसी प्रकार के आधिक्य/अतिशेष को अन्य घटकों द्वारा प्रतिसन्तुलित (offset) किया जा सकेगा।

3.1.2 समस्त आबन्धित इकाइयों(obligated entities) हेतुनवीकरणीय क्रय आबन्धन में नाभिकीय ऊर्जा स्त्रोतों (Nuclear Power Sources) के माध्यम से खपत की गई विद्युत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.1.3 आबन्धित इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (open access consumers) तथाआबद्ध उपयोगकर्ता (captive users) किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से निर्दिष्ट समग्र नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति कर सकेंगे।

3.1.4 आबन्धित इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) में निर्बाध (खुली) पहुंच से ऐसी निर्बाध (खुली) पहुंच द्वारा की गई समग्र विद्युत ऊर्जा खपत को सम्मिलित किया जाएगा।

3.1.5(क)आबन्धित इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट आबद्ध उपयोगकर्ताओं (captive users) हेतु नवीकरणीय क्रय आबन्धन में ऐसे आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा उपभोग की गई समग्र विद्युत को सम्मिलित किया जाएगा। इस आबन्धन के अन्तर्गत आबद्ध संयुक्त चक्र गैस–आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (Captive Combined Cycle Gas-Based Generating Station) में जीवाष्म–आधारित स्त्रोतों (fossil based sources) का उपयोग करने वाली अपशिष्ट उष्मा पुर्नप्राप्ति प्रक्रिया (Waste Heat Recovery Process) द्वारा स्व–उपभोग (Self consumed) की गई विद्युत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन आबन्धनों में अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति (waste energy recovery) के माध्यम से उपोत्पाद गैसों (by-product gases) से या फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबद्ध अवशिष्ट ऊर्जा स्त्रोतों (residual energy sources) के अन्य प्रकारों को सम्मिलित करते हुए स्व–उपभोग की गई विद्युत को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ख) आबन्धन (obligation) में निम्न को सम्मिलित नहीं किया जाएगा–

(एक) जीवाष्म–ईंधन आधारित सह–उत्पादन संयन्त्र से स्व–उपभोग की गई विद्युत का 50% अंश ; तथा

(दो) एल्यूमिनियम प्रगलकों (Aluminium Smelters) द्वारा खपत की गई जीवाष्म ईंधन–आधारित विद्युत का 50% अंश।

3.1.6 आबन्धित इकाइयों हेतु जो स्वयं वितरण अनुज्ञप्तिधारी हैं, नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation)की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिधि/सीमा (Periphery) के भीतर अवस्थित उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा के आधार पर की जाएगी। इस विद्युत आपूर्ति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं उत्पादित तथा स्व–उपभोग हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से की गई खपत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.1.7 आबन्धित इकाइयांनिम्न में से किसी भी एक या एक से अधिक विधियों द्वारा निर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति कर सकेंगी, यथाः

एक. नवीकरणीय विद्युत की खपत के माध्यम से, प्रत्यक्ष रीति अनुसार या फिर ऊर्जा संचयन प्रणाली (energy storage system) के माध्यम से ;

दो. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार जारी किये गये स्व–उत्पादित (self generated) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के माध्यम से या उनके क्रय द्वारा, ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों को सम्मिलित करते हुए जिनका अधिग्रहण प्रतीयमान विद्युत क्रय अनुबन्धों (Virtual Power Purchase Agreements) के माध्यम से किया जाता हो ; और

तीन. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधिग्रहण मूल्य (buyout price) के भुगतान द्वारा :

परन्तु यह कि अधिग्रहण क्रियाविधि (buyout mechanism) के माध्यम से प्राप्त की गई धन राशियों को केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष (Central Energy Conservation Fund) को पृथक शीर्ष (separate head) के अन्तर्गत आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा जिसमें से 75% राशि को राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष को अन्तरित किया जाएगा। समग्र ऊर्जा मिश्रण (Overall Energy Mix) में गैर–जीवाष्म ईंधन ऊर्जा के अंशदान में वृद्धि के उद्देश्य से इन राशियों का उपयोग निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के विकास में सहायता

प्रदान करने हेतु किया जाएगा। राज्य शासन ऐसी गैर–जीवाष्म ईंधन क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान करने हेतु ऐसे राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष में संचित धन राशियों के उपयोग हेतु क्रियाविधि निर्दिष्ट करेगा।

3.1.8 सामान्य नियन्त्रण के अधीन बहुविध उपभोक्ताओं हेतु यथास्थिति कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) में परिभाषित नियन्त्रक कम्पनी (holding company) स्तर पर या सुसंबद्ध सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन सहकारी सोसाइटी स्तर पर नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन हेतु समग्र आधार पर विचार किया जाएगा।

3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.1.9 से 3.1.14 को विलोपित किया जाए।

3.4 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 3.8(क)(ख) के स्थान पर नवीन विनियम 3.8(क)(ख) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:

''ख. किसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र से निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) के माध्यम से या फिर विद्युत विपणन केन्द्रों (Power Markets) के माध्यम से।''

3.5 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 3.8(क)(ग)(एक) के स्थान पर नवीन विनियम 3.8(क)(ग)(एक) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:

''एक. कोई भी उपभोक्ता हरित ऊर्जा (green energy) के क्रय हेतु या तो खपत के निश्चित प्रतिशत तक या फिर सम्पूर्ण खपत हेतु चयन कर सकेगा तथा उसके द्वारा अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस हेतु मांग प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके द्वारा हरित ऊर्जा की उक्त मात्रा की प्राप्ति तथा आपूर्ति की जाएगी तथा उपभोक्ता के समक्ष पवन, जल–विद्युत, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य श्रेणियों हेतु पृथक–पृथक मांग प्रस्तुत करने का लचीला विकल्प उपलब्ध रहेगा ;''

4. मूल विनियमों के विनियम 12 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 12.5,12.6 तथा 12.7 को विलोपित किया जाए।

5. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :

मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 13.3 के पश्चात् एक नवीन विनियम 13.4 निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"13.4 आबन्धित इकाइयां अपने नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) की पूर्ति केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिग्रहण मूल्य (buyout price) के भुगतान द्वारा कर सकती हैं।

6. मूल विनियमों के विनियम 14 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 14(ख) को विलोपित किया जाए तथा शीर्षक "(क) राज्य अभिकरण (State Agency)"में प्रकट हो रहे शब्द '(क)' को विलोपित किया जाए।

7. मूल विनियमों के विनियम 15 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 15 के स्थान पर एक नवीन विनियम 15 निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"15 आबन्धित इकाइयों द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन के अनुपालन का अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा चूक का प्रभाव (Monitoring and Reporting of RPO Compliance by Obligated Entities and Effect of Default)

15.1 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा विनियम (3) के अधीन आबन्धन के अनुपालन का अनुश्रवण (monitor) किया जाएगा तथा आयोग को इसका नियतकालिक प्रतिवेदन (periodic report) प्रस्तुत किया जाएगा। अनुपालन अनुश्रवण हेतु समस्त आबन्धित इकाइयों द्वारा वांछित सूचना 'ब्यूरो मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षणकर्ता फर्म (Bureau accredited energy auditing firm)' द्वारा विधिवत प्रमाणित तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि. हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरों को अपने अभिहित वेब पोर्टल (Designated web portal) पर, जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा चाहा जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

15.2 आबन्धित इकाइयां प्रत्येक वर्ष हेतु दिनांक 31 जुलाई तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को विधिवत प्रमाणित लेखे प्रस्तुत करेंगी। वे अपना अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को नवीकरणीय क्रय आबन्धनों में पाई गई कमियों के बारे में पूर्ति के पश्चात् नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के क्रय या अधिग्रहण मूल्य (buyout price) के भुगतान के माध्यम से, यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक 31 मार्च, 2026 तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष हेतु दिनांक 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगी।

15.3 नवीकरणीय क्रय आबन्धन में पाई गई किसी कमी (shortfall) कोअपालन (non-compliance) माना जाएगा तथा न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicting Officer) द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण

अधिनियम, 2001 (क्रमांक 52, वर्ष 2001) की धारा 26की उप–धारा (3) के उपबन्धों के अधीन दोषी पाये जाने पर चूककर्ता पर अर्थदण्ड (Penalty) अधिरोपितकिया जा सकेगा।

15.4 इन विनियमों के विनियमों 15.1 तथा 15.2 के अपालन के प्रकरण में, जो मात्र नवीकरणीय क्रय आबन्धन, वांछित सूचना के अ–प्रस्तुतिकरण या फिर त्रुटिपूर्ण सूचना (incorrect information) प्रस्तुतिकरण को सम्मिलित करते हुए तक ही सीमित न होंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या राज्य अभिकरण (State Agency) समय–समय पर यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (क्रमांक 52, वर्ष 2001) के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु विधिक कार्यवाही कर सकेंगे।''

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंगेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(डॉ. उमाकान्त पाण्डा)
सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग